

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 107 / 2014

दर्ज दिनांक:—19.09.2014

1. श्यामवीर पता—प्रार्थी

बनाम

2. हरी पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:

पंकज कुमार

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—05.04.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी व उनके वकील को कई बार आवाज लगवाई गई। किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर